

निशुल्क फॉर्म

आवेदन पत्र संख्या

आवेदन जारी करने की तिथि

दिल्ली अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम

[दिल्ली सरकार का उपक्रम]

अम्बेडकर भवन, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर-१६, रोहिणी, दिल्ली-११० ०८९

कम्पोजिट ऋण योजना ५०,००० रुपये तक

पंजीकरण संख्या

दिनांक

आवेदक का पासपोर्ट

आकार का फोटो

क. व्यक्तिगत विवरण:-

आवेदक का नाम

आवेदक के पिता/ पति का नाम

निवास का पता

पिन कोड

जन्म तिथि उम्र

शैक्षणिक योग्यता

परिवार की वार्षिक आय

लिंग (१) पुरुष (२) स्त्री (३) अन्य

श्रेणी : अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ दिव्यांग/ सफाई कर्मचारी एवं धर्म

जाति प्रमाण पत्र संख्या एवं प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि

निर्गमकर्ता अधिकारी

बैंक खाता संख्या

बैंक का नाम एवं शाखा

(बैंक खाता आवासीय पते का होना अनिवार्य है)

वर्तमान व्यवसाय

क्र. प. उ.

- फोन नंबर _____
- ईमेल का पता _____
- वैवाहिक स्थिति (अ) विवाहित _____ (ब) अविवाहित _____
- ख. निवास स्थल का प्रमाण:-
- आधार कार्ड संख्या _____ जारी करने की तिथि _____
- मतदाता पहचान पत्र संख्या _____ जारी करने की तिथि _____
- (आवेदक को स्वयं के नाम का, पिछले तीन महीनों के बिजली के बिलों की मूल प्रति (Original) भी आवेदन पत्र के साथ जमा करने हैं)
- क्या निवास कच्चा है अथवा पक्का ? _____
- क्या निवास झुग्गी अथवा जे जे कॉलोनी में है? _____
- ग. कार्यस्थल का पता और उसका आकार क्षेत्र (स्वयं का अथवा किराये का)
- _____
- _____
- घ. प्रस्तावित व्यवसाय _____
- ड. ऋण राशि, जिसके लिए आवेदन किया है? _____
- च. क्या इस निगम से पहले भी कोई ऋण लिया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण _____
- छ. क्या वह ऋण पूर्णतः चुकता हो गया है? _____
- ज. यदि बेबाकी प्रमाण (No Dues Certificate) पत्र जारी हो चुका है तो उसकी प्रतिलिपि संलग्न करें.
- झ. शपथ: मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास में उपरोक्त सूचना पूर्ण एवं सही है. यदि इसमें दी गयी कोई सूचना सही नहीं/ अथवा असत्य पाई जाती है, तो उसके लिए मैं नियम/ कानून के तहत किसी भी दंड का भारी बन्गी/ बन्गी. और मेरा आवेदन पत्र बिना किसी अग्रिम कार्यवाही के निरस्त कर दिया जाये.

आवेदक के हस्ताक्षर.

तिथि: _____

स्थान: _____

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु:-

1. प्रमाणित किया जाता है की आवेदक के सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है और वह सही पाए गए तथा ज़रूरी दस्तावेजों की छाया प्रतियों पर मेरे द्वारा विधिवत हस्ताक्षर (मोहर सहित) किये जा चुके हैं.
2. फ़ील्ड सर्वेक्षण श्री _____ पदनाम _____ द्वारा किया गया है और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आवेदक ऋण के लिए योग्य पाया गया है तथा प्रकल्प व्यवहारिक है.
3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री _____ के ऋण आवेदन के मामले में डीएसएफ़डीसी की कम्पोजिट ऋण योजना के अंतर्गत _____ रुपये (रुपये _____ मात्र) की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है.

(शाखा प्रभारी/ सेक्शन प्रभारी के हस्ताक्षर)
तिथि, मोहर सहित

पात्रता की शर्तें:-

1. आवेदक अनिवार्यतः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक, सफाई कर्मचारी अथवा विकलांग श्रेणी का हो.
2. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो.
3. आवेदक की उम्र 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
4. आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रुपये 3,00,000 तथा अल्पसंख्यकों के लिए रुपये 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. सफाई कर्मचारी अथवा दिव्यांग जनों के लिए कोई आय सीमा नहीं है.
5. आवेदक इस निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिये.

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

1. पासपोर्ट साइज की चार फोटो (एक आवेदन पत्र पर उसके निर्दिष्ट स्थान पर चिपकानी है तथा बाकि तीन आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दी जायें);
2. अनुमानित लागत का ब्यौरा;
3. रा. रा. क्षे. दि. सरकार के सम्बंधित क्षेत्रीय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति;
4. अल्पसंख्यक श्रेणी के आवेदको को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह किस धर्म से सम्बंधित है। दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदको को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (कम से कम ४०%) प्रस्तुत करना होगा;
5. शपथ पत्र नोटरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित होने अनिवार्य हैं;
6. आवेदक को HYPOTHECATION DEED पर डी.एस.एफ.डी.सी. के कार्यालय में ही हस्ताक्षर करने होंगे;
7. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी गूल दस्तावेज शाखा प्रभारी/ सेक्शन प्रभारी को दिखाने होंगे;
8. आवेदक को स्वयं के नाम का, पिछले तीन महीनों के बिजली के बिलों की मूल प्रति (Original) भी आवेदन पत्र के साथ जमा करने हैं;
9. आवेदक को ऋण की अदायगी के लिए ४७ post dated cheques अथवा ECS Mandate form भी देने होंगे.
10. आवेदक को Municipal Corporation of Delhi द्वारा रिहायशी क्षेत्र में स्वीकृत कार्य ही करना होगा.